न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट चूरू

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार गौतम (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2020/00075 **दायर दिनांक 07.09.2020**

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान) **–सायल–**

बनाम

कैलाश पुत्र सीताराम जाति बावरी उम्र 39 साल निवासी वार्ड नम्बर 40 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू। **–गैरसायल–**

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि0 1975

उपस्थित :–

1. **अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल**

निर्णय **दिनांक : 11.02.2022**

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में जिला मजिस्ट्रेट चूरु से स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल कैलाश पुत्र सीताराम जाति बावरी उम्र 39 साल निवासी वार्ड नम्बर 40 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू का रहने वाला है, जो सट्टे की खाईवाली करने का आदी है। समाज के नव युवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल के उक्त कृत्य पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल के विरूद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है :–

क.स.	मुकदमा न0 एवं दिनांक	जुर्म धारा	चालान दिनांक	जे.एफ. नम्बर	फैसला अदालत
1	03/03.01.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	05.07.2019	496/2019	सजा 05.07.2019
2.	81/16.03.2019	13 आर.पी.जी.ओ एक्ट	13.09.2019	852/2019	सजा 13.09.2019

अतः इस्तगासा विरुद्ध कैलाश पुत्र सीताराम जाति बावरी उम्र 39 साल निवासी वार्ड नम्बर 40 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही फरमाने का आदेश फरमावें।

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामिल होने के उपरान्त गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत व श्री शिव सिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया, किन्तु प्रकरण में ना तो जवाब पेश किया ना ही उपस्थित आये। इसलिए गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरु ने उपस्थित होकर अपनी बहस में कहा कि इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध 02 बार, 13 RPGO के अन्तर्गत दोष प्रमाणित है। गैरसायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावें ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

2020/00075

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरू बनाम कैलाश

पैरोकार राज अभियोजन अधिकारी चूरू की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली–भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासे के अनुसार गैरसायल के विरूद्ध 02 मुकदमें 13 आर.पी.जी.ओ. मे दिनांक 03.01.2019 व 16.03.2019 के अनुसार प्रमाणित है। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा (3)(3) के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरूद्ध गैरसायल कैलाश पुत्र सीताराम जाति बावरी उम्र 39 साल निवासी वार्ड नम्बर 40 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल कैलाश पुत्र सीताराम जाति बावरी उम्र 39 साल निवासी वार्ड नम्बर 40 सुजानगढ़ पुलिस थाना सुजानगढ़ जिला चूरू को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 15 दिवस के लिए थाना क्षेत्र से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ गैरसायल कैलाश को थानाधिकारी पुलिस थाना छापर को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना छापर की देखरेख में 15 दिवस के लिए रहेगा एवं प्रत्येक सोमवार को थानाधिकारी थाना छापर में हाजरी देने हेतु उपस्थित होगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना सुजानगढ़ व थानाधिकारी पुलिस थाना छापर तथा पुलिस अधीक्षक चूरू को भेजी जावें। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/2

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू